



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ20(101)आयो/आकाशि / 2024-25 /

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- नवीन राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित रूप से मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु गठित समिति सदस्यों को यात्रा भत्ता देने के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नवीन राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित रूप से मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु गठित समिति सदस्य द्वारा नियमानुसार अपने मुख्यालय की परिसीमाओं के बाहर एवं जिसकी दूरी उसके ड्यूटी स्थल से 15 किमी से अधिक हो इस नियम के प्रयोजनार्थ मुख्यालय की परिसीमायें करबे या नगर के मामले में करबे या यथस्थिति, नगर की नगरपालिका परिसीमाओं तक होगी तथा वह राजकीय कार्य हेतु यात्रा करता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा भत्ता देय होगा।

(अजय असवाल)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय, राजस्थान
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

RajKaj Ref
7552575

Document certified by AJAY ASWAL
<Ajayaswalcmu@gmail.com>.

Digitally Signed by Ajay Aswal
Designation : Additional
Commissioner
Date :29-05-2024 04:55:06